प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
कम्प्यूटर सेल,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

संख्या–392 /1–18–2014/क0सेल/27/2008/ टी०सी०, दिनांक 01-08-2019

विषयः तहसील स्तर से निर्गत किये जाने वाले आय,जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषादेश पत्र संख्या 742/1–18–2014/क०सेल /27/2008 दिनांक 28–07–2008 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे तहसील स्तर से निर्गत किये गये आय,जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों को राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक ''प्रमाण–पत्रों का सत्यापन '' के माध्यम से सत्यापित किये जाने की व्यवस्था का उल्लेख है ।

2–सूच्य है कि शासनादेश संख्या 12/2015/447/1–4–15–151बी–4/12 दिनांक 24–03–2015 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2015 से समस्त तहसीलों में आय,जाति तथा निवास प्रमाण–पत्र सम्बंधित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा एस०एस०डी०जी० योजना के अंतर्गत डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ही निर्गत किए जायेंगे। मैनुअल हस्ताक्षर से प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किये जायेगें ।

3–उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत परिषद द्वारा परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक ''प्रमाण–पत्रों का सत्यापन'' को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

4– यदि किसी भी स्तर पर 01 अप्रैल 2015 से पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण–पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होगी तो उसका सत्यापन सम्बंधित जनपद /जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अभिलेखों से किया जायेगा ।

अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटरीकरण)
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर मुख्य सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन ,राजस्व अनुभाग–4,लखनऊ ।
2–निदेशक , एन0आई0सी०,योजना भवन, लखनऊ ।
3–श्री राजेश कुमार त्रिपाठी ,तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, राजस्व परिषद,उ०प्र०, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि परिषद वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटरीकरण)
कृते आयुक्त एवं सचिव।